

सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

सा.का.नि. 30.—बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) एवं संशोधित (2023 का 11) की धारा 85ए के साथ पठित बहुराज्य सहकारी सोसायटी नियम, 2002 के नियम 30ए, 30 बी और 30सी के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा श्री आलोक अग्रवाल को सहकारी ऑम्बुड्समैन के रूप में उक्त अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पूरे देश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ नियुक्त करती है और उनका कार्यालय 9वां तल, टॉवर 'ई', वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 में होगा।

[फा. सं. L-11012/09/2023-L&M]

अमित कुमार रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

New Delhi, the 5th March, 2024

G.S.R 30.—In exercise of the powers conferred under section 85A of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and amendment (11 of 2023) read with rules 30A, 30B and 30C of the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, the Central Government hereby appoints Shri Alok Agarwal as Co-operative Ombudsman with territorial jurisdiction of entire country for a period of three years, from the date on which he enters upon his office, as per terms and conditions specified in the said Act and rules and his office shall be situated at 9th Floor, Tower 'E', World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110 029.

[F. No. L-11012/09/2023-L&M]

AMIT KUMAR RAWAT, Under Secy.